प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 3367/2025

सुनील कुमार दिनकर (प्रोपराइटर–राज एग्रो इंडस्ट्रीज) पिता तीजराम दिनकर, 33 वर्ष, निवासी पामगढ़, तहसील–पामगढ़, निवासी–जांजगीर चंपा (छ.ग.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – भारत संघ ,उप सचिव के द्वारा, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली

2 – छत्तीसगढ़ राज्य –सचिव के द्वारा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नई रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)

3 – प्रबंध निदेशक–छत्तीसगढ़ राज्य बाजार संघ मर्यादा अटल नगर, नया रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

4 – छ.ग. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जांजगीर–चांपा जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

5 – कलेक्टर (खाद्य विभाग) जांजगीर–चंपा जिला–जांजगीर–चंपा (छ.ग.)

6 – जिला विपणन अधिकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जांजगीर–चंपा जिला–जांजगीर–चंपा (छ.ग.)

7 – भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) क्षेत्रीय कार्यालय–मोवा, विधानसभा मार्ग, रायपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

---उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु : –– सुश्री रीना सिंह, अधिवक्ता

भारत संघ हेतु : –– श्री तुषार धर दीवान, सी. जी. सी.

राज्य/उत्तरवादी संख्या 2 और 5 हेतु : –– श्री सतीश गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 3 और 6 हेतु :–– श्री अनिमेष तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 7 हेतु :–– श्री आर. एस. पटेल, अधिवक्तातथा श्री आशीष साहू, अधिवक्ता

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पीठ पर आदेश

03/07/2025

सुना गया है।

1. याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा जारी दिनांक 22/05/2025 के वसूली आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है, जिसके तहत उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता को 72,95,954/– रुपये की राशि जमा करने का निर्देश/आदेश दिया है, जिसके विफल होने पर उक्त राशि खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में धान की कस्टम मिलिंग के बदले याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी/एफडीआर से वसूल की जाएगी।

2. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता निम्नलिखित आधारों हेतु प्रार्थना कर रहा हैः–––

(i) यह कि, यह माननीय न्यायालय उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा जारी बहत्तर लाख पंचानवे हजार नौ सौ चौवन रुपये (72,95,954/– रुपये) की राशि के लिए दिनांक 22.05.2025 को दिए गए आक्षेपित वसूली आदेश को, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, अपास्त करने की कृपा करे और संबंधित उत्तरवादी संख्या 6 को न्याय के हित में उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 29.05.2025 की अधिसूचना के आलोक में खरीफ वर्ष 2023–24 के 2057.127 क्विंटल (205.712 मीट्रिक टन) के सीएमआर के शेष को स्वीकार करने का निर्देश देवे ।

(ii) यह कि, माननीय उच्च न्यायालय न्याय के हित में, याचिकाकर्ता को उत्तरवादीगण द्वारा वसूली से या तो इस खरीफ वर्ष 2023–24 के लिए बैंक में सुरक्षा के रूप में जमा की गई याचिकाकर्ता की बैंक गारंटी/एफडीआर और पोस्ट डेटेड चेक को जब्त/जब्ती करके या किसी अन्य तरीके से संरक्षित कर सकता है।

(iii) यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य अनुतोष /रिट, आदेश प्रदान करने की कृपा करे , जिसे माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और न्यायसंगत मानता है।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने खरीफ विपणन वर्ष 2023–24 में कस्टम मिलिंग नीति के उद्देश्य से सरकार के साथ एक संविदा किया है और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से जिला विपणन अधिकारी, जिला जांजगीर–चांपा अर्थात उत्तरवादी क्रमांक 6 के बीच प्रथम पक्ष के रूप में और याचिकाकर्ता यानी द्वितीय पक्ष सुनील कुमार दिनकर (प्रोपराइटर– राज एग्रो इंडस्ट्रीज), निवासी पामगढ़, तहसील–पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा, सी.जी. के बीच संविदा पत्र निष्पादित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के कस्टम मिलिंग निर्देशों के तहत, सीजी सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय रायपुर नवा रायपुर, वर्ष 2023–24 में खरीदे गए धान की कस्टम मिलिंग के संबंध में जारी निर्देशों के तहत।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. छत्तीसगढ़ शासन के कस्टम मिलिंग निर्देशों के अनुसार निष्पादित करार के अनुसार, याचिकाकर्ता ने कुल 3250 क्विंटल धान (फोर्टिफाइड) अर्थात (एफसीआई अरवा–23570, नान अरवा–8930) और गैर–फोर्टिफाइड 700 क्विंटल का उठाव किया है। पक्षों के बीच संविदा करार की शर्त के अनुसार याचिकाकर्ता को एफसीआई और नान के अरवा के कस्टम मिल्ड चावल का 67% जमा करना है, अर्थात कुल 21992.75 (एफसीआई 15949.819 + 6042.931 (नान) + गैर–फोर्टिफाइड 469 क्विंटल और जिसके संबंध में याचिकाकर्ता से पीडीसी चेक और बैंक गारंटी पहले ही ले ली गई है।

5. याचिकाकर्ता ने कस्टम मिलिंग चावल को दिन–प्रतिदिन जमा करना शुरू कर दिया है और आज तक उसने नान अरवा कस्टम मिल्ड चावल को पूरी तरह से जमा कर दिया है और एफसीआई अरवा में से 15949.819 क्विंटल में से, आज तक याचिकाकर्ता ने 13892.692 क्विंटल जमा कर दिया है और शेष 2057.127 क्विंटल के लिए, याचिकाकर्ता विस्तारित समय के भीतर इसे जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक था और है।

6. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उत्तरवादी संख्या 3 इस न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसी संख्या 823/2025 दिनांक 10/02/2025 में पारित आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता के 2057.127 क्विंटल के शेष को स्वीकार नहीं कर रहा है और इसके बजाय उत्तरवादी संख्या 6 ने 22/05/2025 को वसूली आदेश जारी किया है और 2023–24 के सीएमआर के 2057.127 क्विंटल के शेष को उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादीगण के मनमाने और त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण के कारण, याचिकाकर्ता को वर्ष 2023–24 के शेष 2057.127 क्विंटल कस्टम मिल्ड चावल जमा करने से रोक दिया गया है और 22/05/2025 का वसूली आदेश केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए जारी किया गया है।उन्होंने आगे तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता अपनी ओर से शेष शेष कस्टम मिल्ड चावल जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक है, लेकिन संबंधित उत्तरवादी अपनी स्वयं की अधिसूचनाओं के बाद भी खरीफ वर्ष 2023–24 के शेष 2057.127 क्विंटल सीएमआर को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और सीएमआर जमा करने की अंतिम तिथि अब 29.05.2025 की अधिसूचना के माध्यम से 2023–24 के सीएमआर जमा करने के लिए 10.05.2025 से बढ़ाकर 30.06.2025 कर दी गई है।अतः यह प्रार्थना की जाती है कि दिनांक 22.05.2025 के वसूली आदेश को अपास्त दिया जाए तथा उत्तरवादी संख्या 6 को दिनांक 29.05.2025 की अधिसूचना के आलोक में खरीफ वर्ष 2023–24 के 2057.127 क्विंटल सीएमआर का शेष स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए।

8. मार्कफेड के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मार्कफेड कस्टम मिलिंग करार के निष्पादन में विशुद्ध रूप से एक सुविधाकर्ता और मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सख्ती से कार्य करता है।मार्कफेड के पास नीतिगत निर्णय लेने या बाध्यकारी निर्देशों से विचलित होने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।

वे आगे यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी विवाद की स्थिति में याचिकाकर्ता करार में दिए गए मध्यस्थता खंड का सहारा ले सकता है।

9. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

10. करार के खंड 5.1 में निम्नलिखित कहा गया है:----------

5.1. अपार्जन केन्द्र / संग्रहण केन्द्र से धान उठाने हेतु पक्ष कमांक 02 द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से डिलीवरी आर्डर (डी.ओ.) हेतु आवेदन करेगा। जिस पक्ष कमांक 01 की ओर से संबंधित राजस्व जिले के जिला विपणन अधिकरी के द्वारा अनुमोदित कर जारी किया जावेगा, जो अहस्तांतरणी होगा। विभागीय साफटवेयर अनुसार उपार्जन केन्द्र / संग्रहण केन्द्र द्वारा डी.ओ. का सत्यापन किए जाने के उपरांत जारी किये गये डिलीवरी के अनुसार ही पक्ष क्रमांक 02 को संबंधित उपार्जन केन्द्र / संग्रहण केन्द्र से डिलीवरी आर्डर जारी होने की तिथि से 10 दिवस के अन्इदर डी.ओ. में उल्लेखित सम्पूर्ण धान का परिदान प्राप्त करने के लिये बाध्य है। यदि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा 10 दिवस के भीतर धान का उठाव नहीं तो नियमानुसार दण्ड अधिरोपति किया जावेगा। विषेष परिस्थितियों मे गुण दोष के आधार पर परीक्षण उपरांत पक्ष कमांक 02 को अर्थदण्ड में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. करार के खंड 14.1 में निम्नलिखित कहा गया है:---

14.1 इस संविदा करी किसी भी कंडिका से संबंधित विवाद उत्नन्न होने की स्थिति में उभयपक्षों द्वारा विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला कलेक्टर द्वारा उक्त अभ्यावेदन में किया गया निर्णय उभयपक्षों को मान्य होगा।

12. करार के खंड 15.1 तथा 15.2 में कहा गया हैः--

15.1 संविदा की कंडिका 14.1 के अंतर्गत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा किये गये निर्णय के विरूद्ध उभयपक्षों द्वारा विवाद के निर्णय हेतु 60 दिवस के भीतर आबीटेशन हेतु छ.ग. मध्यस्यतम अधिकरण रायपुर (छ.ग.) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा जो अभयपक्षों को मान्य होगा। 15.2 आर्बीट्रेशन में किये गये निर्णय से यदि उभय पक्ष में से कोई असंतुष्ट होता है, तो वह अन्य विधिक प्रावधानों का उपयोग कर सकेगा।

13. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह उसकी ओर से शेष कस्टम मिल्ड चावल जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक है, लेकिन संबंधित उत्तरवादी खरीफ वर्ष 2023-24 के 2057.127 क्विंटल सीएमआर का शेष स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि 2023-24 के सीएमआर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गोयल राइस इंडस्ट्रीज बनाम पंजाब राज्य (2016) एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 9853** के प्रकरण में इस सिद्धांत पर जोर दिया है कि ऐसे करारो के तहत विवादों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से बेहतर होता है और निम्नलिखित निर्णय दिया है:---

"9. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अपने जिले के बाहर से रिहाई आदेश के बिना धान का दावा कर रहे हैं।यह भी तर्क दिया गया है कि नीति के अनुसार याचिकाकर्ता के पास मध्यस्थता का अधिकार है, जिसका उपयोग केएमएस 2015–16 की नीति के प्रावधानों की व्याख्या तय करने के लिए किया जा सकता है, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता कथित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए अपना दावा स्थापित कर सकते हैं।

10.1 मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन किया है।एक बार जब उत्तरवादी द्वारा यह आक्षेपित नहीं किया जाता है कि याचिकाकर्ता को मध्यस्थता की मांग करने का अधिकार है, तो यह पक्षकारों के हित में होगा कि वे उपाय का लाभ उठाएं, जो कि 2015–16 की कस्टम मिलिंग नीति के खंड 19 में प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है:--

"इस करार से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद और मतभेद संबंधित अभिकरण के प्रबंध निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के अधीन होंगे। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त व्यक्ति खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पंजाब या संबंधित अभिकरण का कर्मचारी है या था या उसे उस प्रकरण से निराकरण करना था जिससे संविदा संबंधित है और अपने कर्तव्यों के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पंजाब या संबंधित अभिकरण के ऐसे कर्मचारी ने विवाद या मतभेद के सभी या किसी भी प्रकरण पर विचार व्यक्त किए थे।इस तरह के मध्यस्थता का अधिनिर्णय अंतिम होगा तथा इस संविदा के पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।इस संविदा की एक शर्त यह है कि मध्यस्थ के स्थानांतरित होने, अपना पद छोड़ने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में, ऐसे स्थानांतरण, पद रिक्त होने, मृत्यु या असमर्थता के समय संबंधित प्रबंध निदेशक किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा।ऐसा व्यक्ति उस स्थिति और संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जहाँ से उसे उसके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था।परंतु कि संविदा के तहत दोनों पक्षों के बीच किसी भी दावे/विवाद के संबंध में मध्यस्थता की कोई भी मांग लिखित रूप में होगी तथा संविदा की अवधि के पूरा होने या समाप्ति की दिनांक से एक वर्ष के भीतर की जाएगी।यदि निर्धारित अवधि के भीतर मांग नहीं की जाती है, तो मिलर के दावे को क्षमा कर दिया गया माना जाएगा तथा अभिकरण को इन दावों के संबंध में संविदा के अंतर्गत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।मध्यस्थता के लिए और उससे संबंधित लागत मध्यस्थ के विवेक पर निर्भर होगी, जो अपने निर्णय में उपयुक्त आदेश दे सकता है।जैसा कि पूर्वोक्त है, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके संशोधनों पर कोई वैधानिक पुनः अधिनियमन इस खंड के अंतर्गत प्रदान की गई मध्यस्थता पर लागू होगा।हालाँकि, मिलर की ओर से धोखाधड़ी, चोरी या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दुर्विनियोजन आदि के प्रकरण इस खंड के अंतर्गत नहीं आते हैं और ऐसे प्रकरण में अभिकरण द्वारा मिलर के साथ–साथ जमानतदारों के विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही उचित समझी जाएगी।"

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पक्षों को मध्यस्थता के उपाय के लिए हटा दिया जाता है तथा इसलिए वर्तमान याचिकाओं का तदनुसार निराकरण किया जाता है।"

15. उपरोक्त निर्णय से, समान परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब मध्यस्थता के माध्यम से संविदात्मक उपाय उपलब्ध हो और विवाद पॉलिसी या संविदा की शर्तों की व्याख्या से संबंधित हो, तो पक्षकारों को रिट अधिकारिता का आह्वान करने के बजाय ऐसे उपाय का लाभ उठाना चाहिए।तदनुसार आदेश दिया जाता है।

16. उपर्युक्त के तहत, यह न्यायालय इस रिट याचिका में मांगा गया अनुतोष प्रदान करने के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

17. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका उपरोक्त अवलोकन के साथ निराकरण किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur